न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

मैनका जैन पत्नी मनीश कुमार
महाजन सा. नांवा

1. आस्था गुप्ता पत्नी सचिन कुमार जैन सा. दिल्ली
2. राजकुमार पुत्र रनलाल जैन सा. कुचामनसिटी
3. लालाराम पत्र माधुराम कुमावत सा. नांवा
4. शांतिदेवी पत्नी गोपाल जाट सा. ढाणी विजयसागरनाम गढतकणोत तह. श्री माधोपुर सीकर
5. बियाणी पुत्र श्री गोरधन महाजन सा. नांवा
6. उप पंजीयत नांवा
7. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा , बंटवारा व स्थाई निशेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री राजेश कुमार गुर्जर वकील वादी
श्री हरिराम गुर्जर वकील प्रतिवादी 1, 2, 4
श्री महावीर प्रसाद शर्मा प्रतिवादी 5

मुकदमां नम्बर :– 114 / 2015 निर्णय दिनांक :– 30.03.2017

निर्णय

वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम नांवा के खसरा नम्बर 28, 1897 / 59, 29 कुल रकबा 2.30 हैक्टयर में जरिये विकय पत्र भूमि खरीद कर काबिज काश्त होना बताया हैं तथा मौके पर भूमि विभाजीत होकर अलग अलग काबिज होना बताया हैं, व जमाबन्दी में दर्ज हक हिस्से माफिक मौके पर हो रखे बंटवारे अनुसार खातेदारी घोषणा की जाकर बंटवारा करते हुऐ अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की हैं वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 4 शांतिदेवी ने जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया हैं कि मौके पर अलग अलग काबिज काश्त हैं लेकिन किस का हिस्सा किस खसरे में कितना हैं रिकार्ड में स्पष्ट नहीं हैं प्रतिवादी 4 खसरा नम्बर 28, 1897 / 59 कुल रकबा 1.91 हैक्टयर भूमि में 1 / 3 हिस्से पर तथा खसरा नम्बर 29 रकबा 2.30 हैक्टयर भूमि में [illegible] हैक्टयर भूमि खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं तथा मौके पर काबिज काश्त है, जिसकी अलग होल्डिंग कायम करवाने का अधिकारी हैं प्रतिवादी 1, 2 ने भी काउन्टर क्लेम पेश कर खसरा नम्बर 28, 29 की भूमियों में 1.2699 हैक्टयर भूमि पर काबिज काष्त हैं, शेष भूमि पर वादीनी व प्रतिवादी 3 व 5 काबिज काश्त हैं जिसकी अलग होल्डिंग करवाने के अधिकारी हैं। वाद में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य ली जाकर वादीनी व प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्राथमिक रूप से डिकी किया गया हैं, तथा तहसीलदार नांवा ने उभय

पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर पेश किया हैं, बंटवारा प्रस्ताव की प्रति उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं को उपलब्ध करवायी गई जिसको पढ़ सुन समझ कर सही होना स्वीकार किया हैं तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार डिक्री किऐ जाने का निवेदन किया हैं। बंटवारा प्रस्ताव पर बहस सुनी गई जिसे सभी ने सही होना स्वीकार किया हैं। जिससे वादी का वाद व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम साबित होने से स्वीकार किऐ जाने योग्य है।

अतः वादीनी का वाद व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम नांवा के खसरा नम्बर 28,29,1897/59 कुल रकबा 4.21 हैक्टयर भूमि खसरा नम्बर 29 में से 0.7166 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1897/59 में से 0.0833 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 28 में से 0.6034 हैक्टयर कुल रकबा 1.4033 हैक्टयर पूर्वी तरफ की भूमि का प्रतिवादी 4 शांतिदेवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं. इसी प्रकार खसरा नम्बर 29, 1897/59, 28 के मध्य भागी क्रमांशः 0.8667 हैक्टयर, 0.1134 हैक्टयर , 0.4233 हैक्टयर कुल रकबा 1.4034 हैक्टयर भूमि का वादीनी मैनका जैन व प्रतिवादी 5 श्री किशन बियाणी को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा शेष भूमि खसरा नम्बर 29, 1897/59, 28 में पश्चिमी तरफ की क्रमांशः 0.7167 हैक्टयर, 0.1133 हैक्टयर, 0.5733 हैक्टयर कुल रकबा 1.4033 हैक्टयर भूमि में लालराम पुत्र माधुराम कुमावत को 1/10 हिस्से का, राजकुमार जैन पुत्र रतनलाल जैन को 1/10 हिस्से का तथा आस्था गुप्ता को 4/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार खातेदारी में दर्ज कर वादीनी व प्रतिवादीगण की अलग – अलग होल्डिंग कायम की जावे। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का पार्ट रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प डुयुटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एस.एम.शाह)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा

डिक्री मुकदमां इब्तहाई (ओ. 20 रूल 6–7 दीवानी)

अदालतः– **उपखण्ड अधिकारी नांवा, जिला नागौर, राज.**

अज अदालत :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

मैनका जैन पत्नी मनीश कुमार महाजन सा. नांवा

1. आस्था गुप्ता पत्नी सचिन कुमार जैन सा. दिल्ली
2. राजकुमार पुत्र रनलाल जैन सा. कुचामनसिटी
3. लालाराम पत्र माधुराम कुमावत सा. नांवा
4. शांतिदेवी पत्नी गोपाल जाट सा. ढाणी विजयसागरनाम गढतकणोत तह. श्री माधोपुर सीकर
5. बियाणी पुत्र श्री गोरधन महाजन सा. नांवा
6. उप पंजीयत नांवा
7. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा

मुकदमां नम्बर :– 05/2015 निर्णय दिनांक :– 30.03.2017

यह मुकदमां आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू........बहाजरी श्री राजेश गुर्जर वकील वादी, हरिराम गुर्जर , महावीर प्रसाद शर्मा प्रतिवादी मिनजानिब मुदई रूबरू......मिनजानिब मुदालह पेश होकर दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती हैं कि :–

ग्राम नांवा के खसरा नम्बर 28,29,1897/59 कुल रकबा 4.21 हैक्टयर भूमि खसरा नम्बर 29 में से 0.7166 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1897/59 में से 0.0833 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 28 में से 0.6034 हैक्टयर कुल रकबा 1.4033 हैक्टयर पूर्वी तरफ की भूमि का प्रतिवादी 4 शांतिदेवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, इसी प्रकार खसरा नम्बर 29, 1897/59, 28 के मध्य भागी क्रमांशः 0.8667 हैक्टयर, 0.1134 हैक्टयर , 0.4233 हैक्टयर कुल रकबा 1.4034 हैक्टयर भूमि का वादीनी मैनका जैन व प्रतिवादी 5 श्री किशन बियाणी को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा शेष भूमि खसरा नम्बर 29, 1897/59, 28 में पश्चिमी तरफ की क्रमांशः 0.7167 हैक्टयर, 0.1133 हैक्टयर, 0.5733 हैक्टयर कुल रकबा 1.4033 हैक्टयर भूमि में लालराम पुत्र माधुराम कुमावत को 1/10 हिस्से का, राजकुमार जैन पुत्र रतनलाल जैन को 1/10 हिस्से का तथा आस्था गुप्ता को 4/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार खातेदारी में दर्ज कर वादीनी व प्रतिवादीगण की अलग – अलग होल्डिंग कायम की जावे। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का पार्ट रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.04.2017 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी नांवा

उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक			स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक		
मीलान			मीजान		